मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए ब्लॉक, प्रथम तल, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल.– 462 003
Email : md.mfpfed@mp.gov.in mpmfpit@gmail.com
Website : www.mfpfederation.org

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी भोपाल, में वैज्ञानिक (रसायन/फार्माकोलॉजिस्ट) एवं लैब सहायकों के पद पर संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें: –

1. अर्हताओं का निर्धारण: –

1.1: अधिकतम आयु सीमा – 45 वर्ष (दिनांक 30.06.2026 को)

1.2: शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं पारिश्रमिक:–

S. No.	Name of Post	Number of positions to be filled	Salary & Pay Grade	Essential Qualification	Desirable Qualification
1	2	3	4	5	
1.	Scientist (Chemistry)	02	Fix pay Rs. 50490/- on contract basis (90% of Pay Scale 56100-177500 (Level 12))	• Post-graduate Degree in Chemistry/M. Pharma (Ayu. Quality Control) from a recognized University/Institution. • 03 years experience in the relevant field.	Ph.D. in relevant field
2.	Lab. Assistant (Chemistry)	01	Fix pay Rs. 25830/- on contract basis (90% of Pay Scale 28700-91300 (Level 7))	Post Graduate Degree in Chemistry/Bio-chemistry/ specialization in organic chemistry/M. Pharma (Ay. Quality Control from a recognized University/Institution.	One year work experience in related field
3.	Lab. Assistant (Microbiology)	01	Rs. 25830/- on contract basis (90% of Pay Scale 28700-91300 (Level 7))	Post Graduate Degree in Microbiology from a recognized University.	One year work experience in related field
4.	Lab. Assistant (Botany)	01	Rs. 25830/- on contract basis (90% of Pay Scale 28700-91300 (Level 7))	Post Graduate Degree in Botany/M.Sc. (Medicinal Plants) from a recognized University/Institution.	One year work experience in related field
	Total	**05**			

(कमलिका मोहन्ता)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ
भोपाल

2. सामान्य शर्तेः–

1. संविदा शर्तों पर नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष तथा अधिकतम तीन वर्षों के लिए होगी।
2. सफल उम्मीदवार को रुपये 500/– के स्टाम्प पेपर पर संविदा शर्तों के विषय में अनुबंध निष्पादित करना होगा। उक्त संविदा अनुबंध का नवीनीकरण एक बार में एक वर्ष के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों के आंकलन के आधार पर होगा। संविदा कर्मी के लिए Performance Appraisal Report (PAR) लिखा जायेगा तथा संविदा सेवक को 8 या 8 से अधिक के अंक प्राप्त होते है तथा प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अवधि वृद्धि की अनुशंसा की जाती है, तो अवधि वृद्धि की जा सकेगी।
3. संविदा सेवक को कर्मचारी भविष्य निधि की पात्रता होगी।
4. कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में एक माह का नोटिस जारी कर संविदा सेवाओं से पृथक किया जा सकेगा। इसी प्रकार अचानक सेवा छोड़ने/त्यागपत्र देने/लगातार बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित होने की स्थिति में तीन माह का वेतन देय होगा।
5. पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, मानदेय व सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
6. केवल आकस्मिक अवकाश की पात्रता संघ के नियमो के अनुसार रहेगी।
7. चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति संघ के नियमों के अनुसार रहेगी।
8. मुख्यालय से बाहर प्रवास पर जाने हेतु संघ नियमानुसार यात्रा व्यय एवं भत्ते की पात्रता होगी ।
9. कार्य संतोषप्रद रहने की दशा में एक वर्ष उपरांत दोनो पक्षों की आपसी सहमति से संविदा अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
10. इस संविदा नियुक्ति से भविष्य में नियमितिकरण या किसी पद पर नियुक्ति हेतु क्लेम नहीं बनेगा।
11. संविदा नियुक्ति पर उपस्थिति के समय जिला मेडिकल बोर्ड, भोपाल से चिकित्सीय परीक्षण उपरांत स्वास्थ्य के संबंध में जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र में शासन/संघ सेवा के अयोग्य पाये जाने पर यह संविदा नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।
12. चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) की प्रत्याशा में संविदा नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि नियुक्ति के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि श्री .... शासकीय सेवा म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यातिदत की सेवा में रखे जाने योग्य नही है, तो उन्हे दी गई संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. किसी कदाचार या किसी अपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने की दशा में बिना किसी कारण बताये तथा अनुशासनहीनता के फलस्वरूप संविदा सेवक की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
14. प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन एवं पृथक–पृथक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

3. अन्य शर्तेंः—

1. अनुबंध अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध होगा। उल्लंघन पाये जाने की दशा में सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
2. आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेज यदि असत्य/त्रुटिपूर्ण/फर्जी पाये जाते है, तो सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
3. यदि संविदा पर अनुबंधित व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति अथवा बगैर किसी ठोस कारण के अपने कर्तव्य से 15 दिवस से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा अनुबंध ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।
4. अनुबंध के अंतिम कार्य माह का पारिश्रमिक भुगतान तभी किया जावेगा जब, अनुबंधित संविदा कर्मी संपूर्ण शासकीय रिकार्ड, डेटा एवं अन्य सामग्री विधिवत रूप से हस्तांतरण करेंगे।
5. म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अनुबंध के संबंध में समय—समय पर जारी आदेश/संशोधन इस संविदा अनुबंध पर भी लागू होगे एवं संविदा कर्मी पर बंधनकारी होगें।
6. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ उभय पक्षों का पक्ष सुनने के बाद निर्णय ले सकेगे जो उभय पक्षों पर अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(कमलिका मोहन्ता)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ
भोपाल